

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 23 of 2018

Dist.:-Patna

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.**

Md. Murtaza Ansari - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :

For the OP :

ORDER

06.02.2019

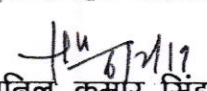
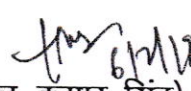
यह सेवा अपील उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आदेश ज्ञापांक- 166, दिनांक- 28.10.2002 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

यह मामला दिनांक- 29.04.1997 से 22.06.2002 तक निलम्बन अवधि से संबंधित है। श्री मुस्तजा द्वारा दिनांक- 23.09.1983 को सन्हौला प्रखंड, भागलपुर से सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर योगदान किया गया था। सचिवालय सहायक के पद पर वर्ष- 2007 से जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में कार्यरत रहे हैं तथा मार्च- 2014 में जल संसाधन विभाग से सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक- 296/गो0 दिनांक- 05.11.1996 द्वारा श्री मो0 मुस्तजा अंसारी पर लगाये गये आरोपों के विरुद्ध विभागीय आदेश संख्या-17/रा0, दिनांक- 29.04.1997 द्वारा उन्हें विभागीय कार्यवाही के निष्पादन तक निलम्बित किया गया तथा निलम्बन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय आयुक्त संथाल परगना का कार्यालय, दुमका बनाया गया।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	विभागीय आदेश सं०- 189/30नि०, दिनांक- 28.06.1997 के आलोक में जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने अपने पत्रांक- 472 (प्र०) स्था०, दिनांक- 17.11.1997 द्वारा श्री अंसारी, निलम्बित सहायक उर्दू अनुवादक के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में दो आरोप मुख्यतः निम्न प्रकार हैं- 1. योजना सं०- 20/92-93 में लाभान्वित अभिकर्ता के स्थान पर मो०- 17,000/- (सत्रह हजार) रुपये अग्रिम का भुगतान पेटी कॉन्ट्रेक्टर को कर दिया गया। 2. दो लाभान्वितों को बोरिंग के लिए पाईप की आपूर्ति के एवज मो०- 600 (छः सौ) रुपये नजायज वसूली की गयी। उर्दू निदेशालय के पत्र सं०- 307/रा०, रा० दिनांक- 24.09.1998 द्वारा प्रपत्र- 'क' अनुमोदित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई तथा अंतिम निर्णय हेतु संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध जिला पदाधिकारी, भागलपुर से किया गया। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक- 238 (प्र०) स्था०- दिनांक- 14.09.2001 के द्वारा संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अंतिम निर्णय हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया। विभागीय आदेश सं०- 166/रा०, दिनांक- 28.01.2002 के द्वारा श्री मो० मुरतजा अंसारी, तत्कालीन सहायक उर्दू अनुवादक, सन्हौला प्रखंड, भागलपुर पर दण्ड अधिरोपित किया गया। श्री मो० मुरतजा अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक, सन्हौला प्रखंड, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में उल्लिखित संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर विभागीय आदेश सं०- 29/रा०, दिनांक- 22.06.2002 द्वारा निलम्बन से मुक्त किया गया तथा सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत निदेशानुसार दण्डस्वरूप उन्हें निलम्बन अवधि का मात्र जीवन निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया गया। श्री मुरतजा अंसारी द्वारा रिट याचिका C.W.J.C.- 5478/97 के आलोक में जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्र संख्या-473 दिनांक- 17.11.1997 के द्वारा	

44
6/2/19

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	उपलब्ध कराये गए संलग्न तथ्य विवरणी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सन्हौला, भागलपुर के पत्र सं०- 1099, दिनांक- 25.09.1997 में यह सूचना दर्ज है कि श्री अंसारी के विरुद्ध योजना सं०- 20/92-93 में अनियमितता तथा लाभान्वित से नाजायज वसूली के आरोप में सन्हौला थाना, भागलपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सन्हौला के पत्र सं०- 600, दिनांक- 21.07.1997 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त मामले के आपराधिक कार्यवाही के फलाफल की सूचना विभाग को अप्राप्त है। संचालन पदाधिकारी के मन्तव्य का मूल अंश है- “इस प्रकार पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में श्री अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक को संदेह को लाभ देना उचित प्रतीत होता है।” संचालन पदाधिकारी द्वारा इन्हें आरोपों से मुक्त करने की अनुशंसा की गई। संचालन पदाधिकारी के मन्तव्य के आलोक में आरोपित से बिना द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त किये हुए दंड अधिरोपित किया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि आरोपित को दिये गये दंड में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः इस वाद को प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को Remand किया जाता है कि विधि सम्मत आदेश पारित करें। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	